

**धारा-60. उधार लेने पर निर्बन्धन.-** सहकारी समिति निक्षेपों और ऋणों को केवल उसी सीमा तक और उन्हीं शर्तों के अधीन लेगी जो नियत की जायें या जो उपविधियों में निर्दिष्ट की जायें।

1[” प्रतिबन्ध यह है कि प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति इस अधिनियम की धारा 17 के अधीन बनाये गये अपने साधारण सदस्यों से ही निक्षेप स्वीकार करेगी तथा ऐसे सदस्य से भिन्न किसी व्यक्ति को प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समिति में निक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।”

- 
1. अधिनियम सं० 25, 1994 द्वारा बदला गया (20.9.94)।
  2. अधिनियम सं० 25, 1994 द्वारा बदला गया (20.9.94)।
  3. अधिनियम सं० 25, 1994 द्वारा बदला गया (20.9.94)।
  4. अधिनियम सं० 25, 1994 द्वारा बदला गया (20.9.94)।
  5. अधिनियम सं० 25, 1994 द्वारा बदला गया (20.9.94)।
  6. धारा 59 और 60 में उ० प्र० अधिनियम संख्या 47 सन् 2007 द्वारा प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया गया जो उ० प्र० असाधारण गजट भाग-1 खण्ड (क) दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 को प्रकाशित हुआ।